मूल वाद में डिक्री
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

धन्या पुत्र पून्या, जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास वादी

बनाम

1. कालू पुत्र छंगा,
2. प्रकाश पुत्र रामसहाय,
3. बाबू पुत्र रामसहाय,
4. रामौती पत्नी रामसहाय,
5. श्री लाल पुत्र रामसहाय,
6. शिवचरण पुत्र रामसहाय

(1 से 6) सभी जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास

7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बिछोछ,
8. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पिपलाई एवं
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 120/2020

वादी स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आज दिनांक 21-12-25 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार [illegible] किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का [illegible] प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम रमजानीपुरा, तहसील बामनवास स्थित खाता संख्या नया 13, पुराना

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8 में वर्णित भूमि में से आराजी हाल खसरा नम्बर 121 रकवा 1.95 हेक्टेयर, 122 रकवा 0.57 हेक्टेयर, 123 रकवा 0.71 हेक्टेयर, 152/1 रकवा 0.27 हेक्टेयर, 153 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 155/1 रकवा 0.19 हेक्टेयर और खसरा नम्बर 162 रकवा 0.38 हेक्टेयर (कुल किता 7 कुल रकवा 4.46 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) का वादी को तथा खसरा नम्बर 124 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 125 रकवा 0.49 हेक्टेयर, 126 रकवा 0.89 हेक्टेयर, 127 रकवा 0.84 हेक्टेयर, 128 रकवा 0.61 हेक्टेयर, 150 रकवा 0.31 हेक्टेयर, 151 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 152/2 रकवा 0.20 हेक्टेयर, 155/2 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 161 रकवा 0.36 हेक्टेयर, (कुल किता 10, कुल रकवा 4.45 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 को 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस पक्षकार द्वारा अपना जितना हिस्सा किसी बैंक के पक्ष में [illegible] रखा हुआ है, उतना ही हिस्सा सम्बन्धित बैंक के पक्ष में विभाजन में निर्धारित स्कीम के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

विभाजित हिस्से पर रहन रखा हुआ माना जायेगा । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 21-12-25 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
120/2020	5.10.2020	21.12.25

धन्या पुत्र पूल्या, जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास वादी

बनाम

1. कालू पुत्र छंगा,
2. प्रकाश पुत्र रामसहाय,
3. बाबू पुत्र रामसहाय,
4. रामौती पत्नी रामसहाय,
5. श्री लाल पुत्र रामसहाय,
6. शिवचरण पुत्र रामसहाय

(1 से 6) सभी जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास

7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बिछोछ,
8. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पिपलाई एवं
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 21-12-25

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी ने अपने परिवार का सजरा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं व ग्राम रमजानीपुरा के रहने वाले हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 121 रकवा 1.95 हेक्टेयर, 122 रकवा 0.57

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर, 123 रकवा 0.71 हेक्टेयर,124 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 125 रकवा 0.49 हेक्टेयर, 126 रकवा 0.89 हेक्टेयर, 127 रकवा 0.84 हेक्टेयर, 128 रकवा 0.61 हेक्टेयर, 150 रकवा 0.31 हेक्टेयर, 151 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 152 रकवा 0.47 हेक्टेयर, 153 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 155 रकवा 0.37 हेक्टेयर, 161 रकवा 0.36 हेक्टेयर, 162 रकवा 0.38 हेक्टेयर (कुल किता 15 कुल रकवा 8.91 हेक्टेयर स्थित ग्राम रमजानीपुरा में वादी का 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या कालू का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 में से प्रत्येक का 1/20 – 1/20 हिस्सा है । वादी के पिता पून्या एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाबा तथा प्रतिवादी संख्या 6 के दादी ससुर छंगा के मध्य उक्त कृषि भूमि का उनके जीवनकाल में उनके पिता मंगड्या के द्वारा अपने दोनों पुत्र छंगा व पून्या के मध्य आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा कर लिया था तथा तभी से छंगा व पून्या व पून्या के मरने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी के पिता पून्या के हिस्से में आये खेत खसरा नम्बर 121 रकवा 1.95 हेक्टेयर, 122 रकवा 0.57 हेक्टेयर, 123 रकवा 0.71 हेक्टेयर, 152 रकवा 0.47 हेक्टेयर, 153 रकवा 0[illegible]यर, 155 रकवा 0.37 हेक्टेयर में से 1/2 भाग और खसरा [illegible] 162 रकवा 0.38 हेक्टेयर (कुल किता 7 कुल रकवा 4.96 हेक्टेयर) पर वादी काबिज काश्त चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

आ रहा है । वादी ने भूमि खसरा नम्बर 152 में खेती की सुरक्षार्थ खेतों पर रहने व कृषि यंत्र आदि रखने हेतु एक मकान बना रखा है । इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने भी अपने हिस्से पर मकान निर्मित कर रखा है । राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण आपस में सीमा विवाद को लेकर झगड़े होते रहते हैं । दिनांक 26.8.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण से विभाजन कराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया .... आदि कथन करते हुए अपना वाद पत्र अनुतोष के अनुसार डिक्री किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वाद पत्र भूमि विभाजन होने का कथन करते हुए वादी ने वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में बंटवारा स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 1.4.2022 के आदेश की पालना में दिनांक 22.6.2022 को प्राथमिक डिक्री [illegible] की गई तथा प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार बामनवास से [illegible] अनुसार बंटवारा स्कीम तलब की गई । तहसीलदार बामनवास द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में बंटवार स्कीम तैयार कर पेश की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 खातेदार काश्तकार हैं। वादी ने अपने वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णनानुसार अपना वाद पत्र डिक्री किए जाने का कथन किया है तथा यह भी निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्व से ही वादग्रस्त जायदाद का बाहमी तौर से विभाजन किया हुआ है तथा उसी अनुसार वादी के हिस्से में उपरोक्त वर्णनानुसार भूमि आई है। वादी के कथनों की पुष्टि तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत भूमि बंटवारा स्कीम से भी होती है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं तथा न्यायालय में आकर उनके द्वारा वादी के कथनों का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया गया है, ऐसे में वादी के कथनों का व तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम पर किसी भी प्रकार से अविश्वास किए जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने ... जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

रमजानीपुरा, तहसील बामनवास स्थित खाता संख्या नया 13, पुराना 8 में वर्णित भूमि में से आराजी हाल खसरा नम्बर 121 रकवा 1.95 हेक्टेयर, 122 रकवा 0.57 हेक्टेयर, 123 रकवा 0.71 हेक्टेयर, 152/1 रकवा 0.27 हेक्टेयर, 153 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 155/1 रकवा 0.19 हेक्टेयर और खसरा नम्बर 162 रकवा 0.38 हेक्टेयर (कुल किता 7 कुल रकवा 4.46 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) का वादी को तथा खसरा नम्बर 124 रकवा 0.39 हेक्टेयर, 125 रकवा 0.49 हेक्टेयर, 126 रकवा 0.89 हेक्टेयर, 127 रकवा 0.84 हेक्टेयर, 128 रकवा 0.61 हेक्टेयर, 150 रकवा 0.31 हेक्टेयर, 151 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 152/2 रकवा 0.20 हेक्टेयर, 155/2 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 161 रकवा 0.36 हेक्टेयर, (कुल किता 10, कुल रकवा 4.45 हेक्टेयर) (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 को 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत [illegible] स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिक्री [illegible], प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता [illegible] कि जिस पक्षकार द्वारा अपना जितना हिस्सा किसी बैंक के पक्ष में रहन रखा हुआ है, उतना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:47:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

हिस्सा सम्बन्धित बैंक के पक्ष में विभाजन में निर्धारित स्कीम के अनुसार विभाजित हिस्से पर रहन रखा हुआ माना जायेगा । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । डिकी तदनुसार तैयार की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 21-12-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner